

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/5771

प्रार्थनी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 07.07.25

1 पांची देवी पत्नि स्व.  
हीराराम जाति कुमावत  
(प्रजापत) निवासी  
बोथिया जागीर  
तहसील व जिला  
बाड़मेर।

1 भंवरसिंह पुत्र बागसिंह 2 मेवी देवी पत्नि बागसिंह जाति  
रावणा राजपूत निवासी विशाला आगोर, विशाला तहसील व  
जिला बाड़मेर 3 हीरालाल पुत्र धर्मसी जाति जोशी निवासी  
तहसील व जिला बाड़मेर 4 गोमाराम 5 देवाराम 6 नवलाराम  
7 हरजीराम 8 चोखाराम पिसरान मंगनाराम जातियान जाट  
निवासी विशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर 9 कैलाश  
पुत्र मूलचन्द 10 पनलाल पुत्र चुन्नीलाल 11 मोहनलाल पुत्र  
मूलचन्द 12 प्रवीण कुमार 13 भरत कुमार 14 महेन्द्र कुमार  
पिसरान माणकमल 15 किशोर 16 प्रदीप 17 प्रमोद पिसरान  
देवीलाल 18 भंवरलाल 19 भीखालाल पिसरान वनजी  
जातियान जोशी निवासी राजीवपुरा (विशाला) तहसील बाड़मेर  
जिला बाड़मेर 20 तहसीलदार बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 625/2024

दिनांक-

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा विशाला आगोर पटवार क्षेत्र विशाला आगोर तहसील व  
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 400 रकबा 21.4321 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम  
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता  
है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये  
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही  
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान  
की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच  
सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

दिनांक- 07.07.25

क्रमांक :- रीडर/2025/5772-75

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी विशाला आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थनी पांची देवी पत्नि स्व. हीराराम जाति कुमावत (प्रजापत) निवासी बोथिया जागीर तहसील व  
जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण भंवरसिंह पुत्र बागसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी विशाला आगोर, विशाला तहसील व  
जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी  
बाड़मेर